

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

प्राधिकृत अधिकारी-इण्डियन बैंक शाखा-बसन्त विहार, भीलवाड़ा	बनाम	1. मैसर्स शक्ति ईट उद्योग जरिये प्रो० हीरा लाल व्यास पुत्र जय राम ब्राह्मण निवासी ग्राम कोरनास, ग्राम पंचायत करजालिया, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा 2. विनोद कुमार व्यास पुत्र हीरा लाल व्यास निवासी वार्ड नं. 05 बड़े मन्दिर के पास, ग्राम ब्राह्मणों की सरैरी तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा
- प्रार्थी		-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट

प्रकरण संख्या /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

.2023

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वह उक्त प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रकरण ड्रॉप किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट, 2002 में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा